(5)

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक : F-37/Dir(P)/JDA/Building Permission/79/13 313 दिनांक :– २५/२/१५

प्रदीप एण्ड कम्पनी,
ज्ञान स्टोरेज, अशोक कुमार
एण्ड कम्पनी रणजीत बर्ड्स,
विमल किशोर राठी, निवासी
41–ए/4, पीडबल्यूडी कोलोनी,
जोधपुर।

विषय :– राजस्व ग्राम जोधपुर (शोभावतो की ढाणी) के खसरा नम्बर 775/63, 775/69, 1282/775, 1286/775, 1284/775, 1285/775, 1287/775 के भूखण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 21276.34 वर्गमीटर पर आवासीय (ग्रुप हाऊसिंग) प्रयोजनार्थ भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदत्त करने बाबत्।

सन्दर्भ :– आपका आवेदन,पत्र दिनांक 04.10.2013 एवं भवन मानचित्र अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 23.11.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्व ग्राम जोधपुर (शोभावतो की ढाणी) के खसरा नम्बर 775/63, 775/69, 1282/775, 1286/775, 1284/775, 1285/775, 1287/775 के भूखण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 21276.34 वर्गमीटर पर आवासीय (ग्रुप हाऊसिंग) प्रयोजनार्थ भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु प्रकरण भवन निर्माण अनुमोदन समिति–द्वितीय की बैठक, दिनांक 23.11.2013 मे विचारार्थ रखा जाकर अनुमोदित किया गया है। आप द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ जमा करवाये गये शुल्क, जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम–2013 एवं प्रस्तुत शपथ–पत्रो के अधीन निम्नलिखित शर्तो पर भवन मानचित्र जारी किये जाते हैं:–

1. अनुमोदित भवन मानचित्र का सकल निर्मित क्षेत्रफल 20000 व. मी. से अधिक है, अतः पर्यावरण विभाग से अनापत्ति/स्वीकृति अनिवार्य है। प्रार्थी द्वारा भूखण्ड पर निर्माण कार्य से पूर्व नियमानुसार पर्यावरण विभाग से उपरोक्त अनापत्ति/स्वीकृति प्राप्त करने की संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं की होगी। अन्यथा निर्माण स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।
2. यह भवन निर्माण अनुज्ञा जारी होने की तिथि से आगामी सात वर्षो तक प्रभावी हैं।
3. जिस प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृति जारी की जा रही हैं, उसी प्रयोजनार्थ भवन निर्माण करवाया जावेगा, अन्यथा निर्माण स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।
4. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार हीं किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (Deviation) नहीं किया जायेगा।
5. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृत मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/राष्ट्रीय भवन संहिता/राष्ट्रीय विद्युत मानक संहिता/ जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम–2013 में वर्णित प्रावधानो के अनुरूप हैं एवं कोई उल्लघंन जानकारी में नही हैं। प्राधिकरण को अधिकार होगा कि किसी भी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रो की दी गई अनुज्ञा रद्द/बदल दे, इस स्थिति में प्रार्थी प्राधिकरण में किसी भीं प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
6. अनुमोदित योजना मानचित्र को मौके पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।
7. भवन निर्माण अनुज्ञा के विरूद्ध किया गया निर्माण अवैध माना जाकर प्रार्थी को अलग से बिना कोई नोटिस दिये प्रार्थी स्वय के खर्चे पर प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त कर दिया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी।
8. स्वामी स्वीकृत मानचित्र को मौके पर प्रदर्शित करेगा।

NOTARY BHARAT SINGH GEHLOT Advocate Distt. Jodhpur Regd. No. 7724 Exp. Dt. 2/2/19 GOVT. OF INDIA

PHOTO COPY ATTESTED

9. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्वामी प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगा। इसी तरह सूचना प्लिन्थ लेवल तक निर्माण किए जाने पर भी प्रस्तुत की जायेगी।
10. निर्माण कार्य पूर्ण कर नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में अधिवास प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा।
11. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जोधपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय या सक्षम अधिकारी के साथ किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
12. दरवाजे एवं खिड़कियां इस प्रकार लगाए जायेंगे कि वो सड़क की ओर निकले हुए नही हो।
13. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत ईकाई से अधिक निर्माण नही करेगा।
14. आपातकालीन व अग्निशमन आदि के प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार करने होगें।
15. प्रत्येक 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो 6 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हो, लगाने होगें।
16. पार्किगं का नियमानुसार अपेक्षित प्रावधान भूखण्ड में किया जाना होगा।
17. ड्रैनेज, सीवरेज आदि के निकास की समुचित व्यवस्था की जावे।
18. सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए प्रत्येक 1000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर 2 कचरापात्र का 00.67 क्यूबिक मीटर का दूसरा पात्र बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हेतु होगा। इन्हे भूतल पर ऐसे स्थान पर रखा जावेगा, जहाँ से सफाई कर्मचारी द्वारा आसानी से उठाया जा सके।
19. गर्म पानी करने हेतु सौर ऊर्जा संयत्र लगाना आवश्यक होगा।
20. जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपरु रीजन भवन) विनियम–2013 के प्रावधानानुसार वर्षाजल संग्रहण हेतु भवन परिसर में हीं उचित प्रावधान किये जाने होगें।
21. उक्त भवन में भूकम्परोधी प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानो के अनुरूप प्रार्थी एवं पंजीकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर की घोषणा तथा संरचनात्मक सुरक्षा हेतु पंजीकृत इंजिनियर के निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र के अनुरूप ही कार्य किये जाने होगें।
22. भवन निर्माता/भवन स्वामी द्वारा सैफ्टी टैंक की सफाई के लिए मानव शक्ति का उपयोग नही किया जायेगा।
23. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियो के लिये नियमानुसार प्रावधान किये जाने होगें।
24. ऊपर वर्णित शर्तो एवं अन्य कोई सम्बन्धित शर्त का पालन नही होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।
25. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
26. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके सम्बन्ध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता हैं तो इसकी सूचना 48 घण्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
27. भवन मानचित्र स्वीकति हेतु दी गई अनुज्ञा को स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावेगा।

NOTARY
BHARAT SINGH GEHLOT
Advocate
Distt. Jodhpur
Regd. No. 7724
Exp. Dt. 2.2.18
GOVT. OF INDIA

निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

दिनांक :–

क्रमांक : F-37/Dir(P)/JDA/Building Permission/79/13

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. उपायुक्त (दक्षिण), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

PHOTO COPY ATTESTED
NOTARY